



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग,
परियोजना खण्ड, चितौड़गढ़
“शास्त्रीनगर, चितौड़गढ़ - 312001
E-mail : eephedprocor@gmail.com



क्रमांक :- अअ./पखचि/ /2018-19/

50

दिनांक :- 16/5/2018

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान-जयपुर।

विषय :- भैंसरोडगढ़-बोराव वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के फोरेस्ट क्लीयरेन्स प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या FP/ RJ/ WATER/ 17698/2016) में जारी ई.डी.एस. अनुसार आक्षेपों का जवाब बाबत्।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक F 14 (PHED) 2016/ FCA/ PCCF/ EDS-IV Dt. 01.05.2018 (ई.डी.एस. दिनांक 02.05.2018)

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त फोरेस्ट क्लीयरेन्स प्रस्ताव में दिनांक 02.05.2018 को लगाई गई ई.डी.एस. का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार है :-

S. No.	Observation	Reply
A.	Compliance of EDS	
1	बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C (ii) में संलग्न KML file सेगमेंट के अनुसार नहीं दी गई है, जिसके कारण प्रस्तावित वन क्षेत्र की गणना किया जाना संभव नहीं है।	बिन्दु संख्या 1 की पूर्ण पालना कर दी गई है। KML file सेगमेंट के अनुसार तैयार कर Polygon shape में तैयार कर अपलोड कर दी गई है।
2	बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट में जहां 11 के.वी. की लाईन के साथ पानी की लाईन डाली जानी है, वहां प्रस्तावित चौड़ाई 7 मीटर ली गई है, जबकि 11 के.वी. का आर.ओ.डब्ल्यू. 7 मीटर है, अतः यहां पानी की पाइप लाईन का क्षेत्र अतिरिक्त रख गणना की जानी प्रस्तावित है। इस सन्दर्भ में यूजर एजेन्सी को सलाह दी जाती है कि वह स्थानीय वनाधिकारी से सम्पर्क कर सही वन क्षेत्र भरे, ताकि बार-बार वन क्षेत्र की गणना सही की जा सके।	11 के.वी. की लाईन के साथ ही पानी की लाईन डाली जानी है, वहां प्रस्तावित चौड़ाई 7 मीटर ली गई है तथा 11 के.वी. का आर.ओ. डब्ल्यू. 7 मीटर में ही पाइप लाईन जमीन के अंदर डाली जाएगी। इसलिए पानी की पाइप लाईन का क्षेत्र अतिरिक्त नहीं रखा गया है।
3	बिन्दु संख्या 3 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में वन्यजीव क्लीयरेन्स स्वीकृति में राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल द्वारा स्वीकृति की प्रति संलग्न नहीं की गई है।	वन्यजीव की क्लीयरेन्स स्वीकृति के लिए प्रस्ताव NBWL के यहां लम्बित है।

S. No.	Observation	Reply
4.	बिन्दु संख्या 4 की पालना नहीं। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 K के (i) में वनाधिकारी अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि में अधिकारी का निबटारा पूर्ण कर लिया गया है अथवा नहीं, इसका प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	FRA Certificate को जारी कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5.	बिन्दु संख्या 5 की पालना नहीं। प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 L में प्रस्तावित वन भूमि के बदले दी जाने वाली गैर वन भूमि का विवरण के संबंध में राजस्व दस्तावेज एवं उक्त भूमि के KML File, GT Sheet, DGPS Map etc. अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।	प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि के बदले दी जाने वाली गैर वन भूमि के चिन्हीकरण की कार्यवाही जारी है।
B.	Additional information is required.	
1	Area calculation sheet segment wise.	Area calculation sheet segment wise करके लगा दी गई है।
2	Revised Bar Chart	Revised Bar Chart लगा दिया गया है।
3.	Revised DGPS map including GPS Coordinates for all corner point of proposed forest land which is to be diverted.	Revised DGPS map including GPS Coordinates for all corner point of proposed forest land which is to be diverted को अपलोड कर दिया गया है।

निवेदन है कि कृपया प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावे।


 (धनपत राज सोनी)
 अधिशाषी अभियन्ता
 जन स्वा0 अभि0 विभाग,
 परियोजना खण्ड, चित्तौडगढ़

16/5/2018